आवश्यक/तत्काल

संख्या: 10/2018/1106/12-2-2018-14/2016

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 2018

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा फसल अपशिष्ट न जलाये जाने हेतु पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण अनुभाग की अधिसूचना संख्या- 2845/55-पर्या0/15-99(पर्या0)-13 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 की संलग्न प्रति का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा फसल कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु पारित आदेश के क्रम में उक्त अधिसूचना दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14 सन 1981) की धारा-19 की उप धारा (5) के अधीन शक्ति प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि अपशिष्टों को जलाया जाना प्रतिषिद्ध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया थाना स्तर पर ग्राम प्रधान, बी0डी0सी0 सदस्य एवं प्रगतिशील कृषकों की एक बैठक बुला ली जाये। बैठक में लेखपाल, कृषि विभाग के फील्ड स्त्रीय अधिकारी एवं ग्राम चौकीदारों को भी बुलाया जाये। बैठकों में उक्त आदेशों का अनुपालन किये जाने तथा अवशेषों को जलाये जाने को दण्डनीय अपराध बताते हुए समस्त को जागरूक किया जाय ताकि मा0 एन0 जी0 टी0 के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 10/2018/1106(1) /12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उत्तर प्रदेश राज्य जैव उर्जा विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in